फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत.....उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा.....मुकाम.....भादरा.....

.....दलेसिंह आदि .....बनाम ..... श्योचन्द आदि .....

किस्म मुकदमा 88,89,53,188 RT Act नं० 121 / 24.06.19 सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| 24-06-19 | आज यह प्रकरण जरिये वकील वादीगण की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2019 को पेश हो। | |
| 1.8.19 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उभय। प्रति सं. 6 से 8 की ओर से एड. [illegible] ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल है। प्रति सं. 1 से 4 की ओर से एड. [illegible] ने वकालतनामा पेश करते हुए समय चाहा। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 22.8.19 को पेश हो। | प्रतिवादी सं. 1 से 4 का वकालतनामा पेश कर दूंगा। |
| 22.8.19 | पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी ..... छोटे पर है। दिनांक 4.9.19 को पेश हो। | |
| 4.9.19 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उभय। प्रति सं. 4 तथा 1 से 3 की ओर से एड. [illegible] ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने अर्जी की ओर से अर्जीनामा पत्र पेश कर निवेदन किया कि [illegible] में सिविल मूल होने के कारण नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ दावा विहा। खारिज किया जावे। अतः अर्जीनामा पत्र स्वीकार कर पत्रावली विहा। खारिज किया जाकर है तथा वकील वादी ने निवेदन अनुसार नया दावा दायर करने की अनुमति स्वीकार की जाती है। पत्रावली नस्ती में दर्ज होकर शामिल दफ्तर हो। | नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ दावा विहा करता हूँ |